

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी बिजनौर

पत्रांक: प-6-2015/सीएफओ/बी0जे0आर0-67/धामपुर-20
सेवा में,

दिनांक: जून 12, 2015

प्रभारी अधिकारी (शस्त्र)
बिजनौर ।

विषय: मैसर्स इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लि0 मुरादाबाद के ग्राम-अजमुल्ला नगर, तहसील धामपुर जनपद बिजनौर के गाटा न0-449 पेट्रोल/डीजल पम्प (रिटेल आउटलेट) लगाने हेतु प्रोविजनल अनापति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: आपका पत्रांक: 1376/बीस आयुध सहायक दिनांक 04-06-2015 के अनुपालन में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक/सन्दर्भित पत्र के अनुपालन एवं मैसर्स इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लि0 मुरादाबाद के आवेदन पत्र दिनांक 02-06-2015 के क्रम में प्रस्तावित स्थल के मानचित्र के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा दृष्टिकोण से अग्निशमन अधिकारी बिजनौर द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया । श्री संजय शर्मा अग्निशमन अधिकारी बिजनौर के निरीक्षण आख्या दिनांक 09-06-2015 के अनुसार प्रस्तावित स्थल अफजलगढ से कालागढ जाने वाले 24 मीटर चौड़े रोड पर स्थित है जहाँ तक फायर सर्विस के वाहन आसानी से आ जा सकते हैं।

सम्बन्धित को निर्देशित किया कि —

- 1- समस्त निर्माण अनुमोदित मानचित्र के अनुसार एवं नैशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया-2005 के उपबन्धों व अधीन कराना सुनिश्चित करेंगे।
- 2- धुम्रपान निषेध का पालन करेंगे तथा इस आशय की पट्टिकाएँ जगह-जगह लगाना सुनिश्चित करेंगे।
- 3- समस्त विद्युत वायरिंग एवं फिटिंग्स भारतीय मानक 2148 के अनुसार फ्लेमप्रूफ कराना सुनिश्चित करेंगे एवं फ्लेमप्रूफ लाइटों का ही प्रयोग करेंगे।
- 4- समस्त दरवाजे बाहर की ओर खुलने वाले लगवाना सुनिश्चित करेंगे।
- 5- अण्डर ग्राउण्ड डीजल/पेट्रोल स्टोरेज टैंक की अर्थिंग मानक के अनुरूप कराना सुनिश्चित करेंगे।
- 6- प्रस्तावित रिटेल आउटलेट पर महत्वपूर्ण/आपातकालीन सेवा नम्बर एक बोर्ड पर अंकित कराना सुनिश्चित करेंगे।
- 7- रिटेल आउटलेट प्रारम्भ करने से पूर्व प्रस्तावित स्थल पर निम्न अग्निशामक व्यवस्था का प्रबन्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
 - 1-ए0बी0सी0 टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 10 के0जी0 - 10 अदद ।
 - 2-सैड फायर बकेट्स ————— 10 अदद ।
 - 3-फोम ट्राली क्षमता 45 के0जी0— 01 अदद ।
 - 4-बालू 100 घनफिट का अतिरिक्त भंडारण ।
 - 5-धुम्रपान निषेध का बोर्ड ।
 - 6-फायर सर्विस के नम्बर 101 , 265443 व 9454418552 का बोर्ड उपलब्ध है ।
- 8- उपलब्ध अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का प्रति वर्ष अग्निशमन विभाग से सत्यापन कराकर इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त करेंगे,
- 9- प्रस्तावित स्थल के आगे से निकली विद्युत लाईन पर फट्टिया लगवाये तथा विद्युत लाईन की इलेक्ट्रिक पोल लगवाकर गार्डिंग कराना सुनिश्चित करेंगे ।
- 10- प्रस्तावित स्थल के आगे खड्डे पेडों को वनविभाग से अनुमति लेकर कटवाना सुनिश्चित करेंगे ।

11- प्रस्तावित स्थल पर निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त रिटेल आउटलेट प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त अग्निशमन व्यवस्था का सत्यापन अग्निशमन विभाग से कराना सुनिश्चित करेंगे । तभी अनुमोदन अन्तिम माना जायेगा उपरोक्त निर्देशों का पालन न करने पर निर्गत प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा ।

अतः उपरोक्त अनुबन्धों/व्यवस्थाओं को पूर्ण कराने की शर्त पर मैसर्स इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लि० मुरादाबाद के ग्राम- अजमुल्ला नगर , तहसील धामपुर जनपद बिजनौर के गाटा न० -449 में पेट्रोल/डीजल पम्प (रिटेल आउटलेट) लगाये जाने पर अग्निशमन विभाग को आपत्ति नहीं है ।

संलग्न: अनुमोदित मानचित्र

(वी० के० सिंह)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
मुरादाबाद/बिजनौर

प्रतिलिपि: पुलिस अधीक्षक बिजनौर महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

2- मैसर्स इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लि० मुरादाबाद के ग्राम- अजमुल्ला नगर , तहसील धामपुर जनपद बिजनौर को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आक्समिक निरीक्षण के दौरान कोई भी अनियमता पायी जाती है तो आपके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही सम्पादित कर दी जायेगी । आप की छोटी सी लापरवाही एक भयंकर अग्नि दुर्घटना को जन्म दे सकती है अतः इसके प्रति स्वयं जागरूक रहकर दुसरो को भी जागरूक करे ।

3- अग्निशमन अधिकारी बिजनौर जनपद बिजनौर, को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित की पत्रावली खोलकर उस को सुरक्षित रखेगे तथा समय-समय पर आक्समिक निरीक्षण करके यथा स्थिति का आकलन करते रहेगे आक्समिक निरीक्षण में यदि किसी प्रकार की अयनिमिता मिलती है तो सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करके यथा स्थिति से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत करायेगे क्योंकि आग से होने वाली क्षति व्यक्तिगत क्षति के साथ राष्ट्र की भी क्षति है जिसकी भरपाई किया जाना सम्भव नहीं है ।

(वी० के० सिंह)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
मुरादाबाद/बिजनौर